संख्या-35/2023/322/58-2-2023/001-1464567-2023

प्रेषक

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ दिनांक 08 जून, 2023**

विषयरू- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्यां-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-789-89-8922-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन की योजना के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू0-33.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-14/बजट/2023-24 दिनांक 19.04.2023 का कृपया सन्दयर्भ ग्रहण करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8922-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनांतर्गत मानक मद 27-सब्सिडी मद में प्रावधानित धनराशि रू0-4573.20 लाख के सापेक्ष योजनांतर्गत चयनित व्यक्तिगत श्रेणी के 1417 उद्यमियों में से अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु चयनित उद्यमी लाभार्थियों को अनुमन्य अनुदान के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश अनुदान की धनराशि रू0 33.00 लाख (रूपये तैतीस लाख मात्र) अवमुक्त कर प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यपय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नेवत है -

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप F.No.FM-11/53/2021-FME दिनांक 18.11.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजना के निर्दिष्ट नोडल बैंक में नियमानुसार जमा कराये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

.....2-

http://shashnadesh.up.gov.in

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

-2इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,00,) 000रुपये तैंतीस लाख मात्र को चालू वित्तीय (वर्ष व्ययक मे-के आय 20232024**अनुदान संख्या** 083**लेखा शीर्षक** प्रधानमंत्री सूक्ष्म 2401007898922 उद्योग उन्नयन योजना खाद्य**मानक मद** सब्सिडी के नामे डाला जायेगा। 27

-3यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E--24-1X--24-2023दिनांक 2023-5-3:मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2023/322/58-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज ।
(3) संयुक्तक सचिव खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(5) वित्ता नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shashinadesh.up.gov.in